11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक :11-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन मामले पर कार्रवाई होने के पश्चात, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 61 में, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के लिए, कार्यालय अध्यक्ष की भूमिका स्पष्ट की गई है। नियम 61 के अनुसार, पेंशन मामले को लेखा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है :-

(1) यदि, नियम 60 के अधीन पेंशन मामले और पेंशन पत्रों को लेखा अधिकारी को भेज देने के पश्चात कोई ऐसी घटना घटती है जिसका संबंध अनुज्ञेय पेंशन की रकम से है, तो इस तथ्य की रिपोर्ट कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी को तुरंत की जाएगी।

(2) यदि, नियम 60 के उप-नियम(2) के अधीन लेखा अधिकारी को सरकारी शोध्यों की विशिष्टियों की प्रज्ञापना देने के पश्चात कोई अतिरिक्त सरकारी शोध्य कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में आते हैं, तो ऐसे शोध्यों की लेखा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 61 के उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)